पत्रांक 15/एम 1–101/2013 – 1239

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बिहार राज्य के सभी पारम्परिक विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 29/6/2015

विषयः– राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा संचालित हो रहे विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु सीटों की संख्या निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार विभागीय पत्रांक 1153 दिनांक 19.06.2014, जो राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों के कुलपति को संबोधित है, का स्मरण किया जाए। उक्त पत्र के द्वारा वर्ष 2014 से एक शैक्षणिक सत्र के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीट निर्धारण हेतु प्राधिकृत किया गया था। साथ–ही–साथ यह भी निदेश दिया गया था कि छः माह के अंदर प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने नियंत्रणाधीन संचालित सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की आधारभूत सुविधाओं/शिक्षकों की संख्या आदि के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा कर सीट निर्धारण के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ विभाग में प्रस्ताव समर्पित करें, परंतु विश्वविद्यालयों के स्तर से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। नया शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने को है। यह खेदजनक है कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने एवं छात्रों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने नियत्रंणाधीन अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या निर्धारित करने हेतु अंतिम रूप से अगामी एक शैक्षणिक सत्र के लिए पुनः प्राधिकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय सिर्फ उन्ही व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करेंगे/सीट निर्धारित करेंगे जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा अध्यादेश/विनियम अधिसूचित की जा चुकी हो। संबद्ध महाविद्यालयों के संदर्भ में सिर्फ उन्ही महाविद्यालयों में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीट निर्धारित किया जाएगा, जिन महाविद्यालयों को राज्य सरकार से पूर्व में स्थायी संबंघन प्राप्त हो।

विश्वविद्यालय प्रशासन सीटों की संख्या निर्धारण के क्रम में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति /उपलब्ध शिक्षकों की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय भार का वहन अथवा शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन का दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन को यह निदेश दियां जाता है कि अगामी तीन माह के अन्दर अपने विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन संचालित सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की आधारभूत सुविधाओं/शिक्षकों की संख्या आदि के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा करे तथा सीट निर्धारण के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विश्वविद्यालयवार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से स्थायी रूप से सीटों की संख्या निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया जा सके। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र से नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा सीट निर्धारित नहीं किया जाएगा, जिसकें लिए विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए।

विश्वासभाजन,

29/6/15

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

Hindi letter 2015

29/6